III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2594 (31)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

जसराम पुत्र खूब सिंह यादव, निवासी ग्राम लखेरी बसारती तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री विनोद दीक्षित एड. द्वारा आज दि. 10-8-2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रास्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9अ– 68/ 2014– 15 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम लेखरी बसारती जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 182 पर आवेदक का करीब लगभग 50 वर्षो से निवास कर रहा है उससे लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 181 रकवा 0.150 हे. शासकीय भूमि है उस भूमि पर शासकीय स्कूल बना है । पडौसी लोगों द्वारा बादल सिंह व अन्य लोगों द्वारा झूठी शिकायत की गई थी। पटवारी द्वारा नोटिस भिजवाते रहते है आवेदक द्वारा कभी भी शासकीय भूमि सवे नं. 181 पर कब्जा नहीं किया है।
2. यहकि, पटवारी ग्राम लखेरी बसारती ने शासकीय भूमि सर्वे नं. 181 रकवा 0.150 हे. पर अतिक्रमण माना। पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रकरण प्रतिवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी 15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / अशोकनगर / भू0राज0 / 2017 / 2594

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–9–2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश होने के पश्चात भी शासकीय भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाने के कारण तहसीलदार ने सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को कई बार सूचना जारी की गई परन्तु वह न तो प्रकरण में उपस्थित न ही उनकी ओर से किसी अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित हुये। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–2017 को गैर जमानती वारन्ट से आहूत करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	